



कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

—: नियम एवं शर्तें :-

1. वर्ष 2016-17 के जिला पंचायत में संचालित महात्मा गांधी नरेगा योजना का ऑडिट कार्य चार्टर्ड एकाउण्टेंट (संस्था) के पास उपलब्ध क्षमता एवं भौतिक संसाधनों के आधार पर कार्य सौंपा जायेगा।
2. निविदा फार्म का दर 1000 रुपये निर्धारित है। निविदा फार्म इस कार्यालय से कय किया जाना आवश्यक है।
3. राजनांदगांव जिले में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत जिला पंचायत (समेकित ऑडिट रिपोर्ट) जनपद पंचायत (समेकित आडिट रिपोर्ट) ग्राम पंचायत एवं अन्य कार्य एजेंसियों का वित्तीय अंकेक्षण छ.ग. महालेखाकार द्वारा निर्धारित पैनेल सूची में सम्मिलित (C.G. Empanelled) चार्टर्ड एकाउण्टेंट, तत् संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
4. निविदाकर्ता फर्म को प्रत्येक आवेदन के साथ 50 हजार रुपये का एफडीआर जमा किया जावेगा।
5. चार्टर्ड एकाउण्टेंट को प्रस्ताव स्वीकृति उपरांत अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा।
6. अनुबंध में निर्धारित समयावधि 15 जून 2017 तक अंकेक्षण कार्य पूर्ण करना होगा। अनुबंध के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा, अंकेक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्रदान किये जाने वाले राशि से प्रति सप्ताह 2 प्रतिशत की राशि कटौती किया जायेगा।
7. चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा अंकेक्षण रिपोर्ट कार्यालय महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्रों में ही तैयार कर प्रस्तुत करना होगा।
8. जिला पंचायत के आडिट कार्य में वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंकेक्षण रिपोर्ट जो जिला पंचायत स्तर, जनपद पंचायत स्तर, ग्राम पंचायत स्तर, एवं क्रियान्वयन एजेंसी स्तर (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग राजनांदगांव, वनमण्डलाधिकारी राजनांदगांव/खैरागढ़, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग राजनांदगांव/छुईखदान, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, बालोद, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन बैराज संभाग डोंगरगांव, उपसंचालक कृषि राजनांदगांव, सहायक संचालक उद्यान राजनांदगांव, कार्यपालन अभियंता सीएमजीएसवाय, सहायक भूमि संरक्षण राजनांदगांव, उपसंचालक पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राजनांदगांव के अंकेक्षकों से प्राप्त की गई रिपोर्ट को समेकित कर समस्त आडिट कार्य संबंधित कार्यालय में संपादित करना होगा। एक प्रथम संक्षिप्त रिपोर्ट जिला स्तर पर संकलित करना होगा।
9. प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में मोहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से महात्मा गांधी नरेगा योजना 2016-17 के अंकेक्षण हेतु प्रस्ताव लिखना होगा। भौतिक तथा वित्तीय प्रस्ताव दो अलग-अलग लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा व लिफाफे के उपर भौतिक/वित्तीय का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। खुले प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन टाईप/लिखित होना चाहिए तथा हस्ताक्षरित होना चाहिए अथवा www.zprajnandgaon.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
10. निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
11. समस्त आडिट कार्य संबंधित कार्यालय में सम्पादित करना होगा।
12. निविदा संबंधी समस्त जानकारी का अवलोकन जिले के वेबसाइट पर एवं जिला पंचायत राजनांदगांव के सूचना पटल पर कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
13. समस्त मामलों में कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
14. निविदा को किसी भी समय/स्तर पर निरस्त करने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को होगा।

स्वच्छ राजनांदगांव, सुध्धर राजनांदगांव...



कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

15. जिला पंचायत द्वारा संचालित योजनाओं का महात्मा गांधी नरेगा का विगत पांच वर्षों का आडिट कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
16. जनपद स्तर का फीस का भुगतान जनपद स्तर से तथा जिला एवं कार्य एजेंसी का फीस जिला स्तर से किया जायेगा।
17. महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत राज्य कार्यालय के पत्र क्रमांक 4216 दिनांक 29.11.2016 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 का प्रारंभिक शेष लिया जावेगा।
18. आडिट न किये जाने अथवा विलंब किये जाने की स्थिति में एक नोटिस उपरांत आडिट कार्य उनसे अधिक (क्रमानुसार) राशि के निविदा प्रस्तुत करने वाले या उसी राशि के अनुसार आडिट कार्य हेतु सहमति देने वाले आडिटर से कराया जा सकता है।
19. निविदाकर्ता को निम्न दस्तावेज की फोटोप्रति करना अनिवार्य होगा:-

(1) Membership certificate of practice (2) PAN Card (3) Latest IT returns filed by firm (4) leatest IT returns of partners (5) Service Tax registration certificate (6) Document in support of financial turnover of the firm (7) Undertaking to be furnished by the firm that there are no legal suiveriminal cases pending against the firm an its partener or having not been earlier convoered on grounds or moral turpitude or for vivolation of laws in force.

20. वित्तीय वर्ष 2016-17 में भुगतान की e-FMS/Ne-FMS प्रणाली लागू होने के कारण ग्राम पंचायत हेतु अंकेक्षण राशि देय नहीं है। 03 वर्षों के संभागवार औसत के आधार पर जिले की न्यूनतम अंकेक्षण दर (राशि रूपये में) :-

क्र	जिले का नाम	जिला कार्यालय अंकेक्षण दर	प्रति जनपद पंचायत कार्यालय अंकेक्षण दर	प्रति क्रियान्वयन एजेंसी अंकेक्षण दर
1	राजनांदगांव	3500.00	1600.00	1500.00

कलेक्टर, एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा, राजनांदगांव (छ.ग.)

स्वच्छ राजनांदगांव, सुधर राजनांदगांव...

Website :- www.zprajnandgaon.gov.in, Email :- zp-rjn.cg@nic.in

Phone No. (07744) 224060, 226495 Fax :- (07744) 220140